

## **ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT**

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

**YEAR : 2013-2014**

**(1-4-2013 TO 31-03-2014)**

वर्ष : 2013–2014

**(1-4-2013 से 31-03-2014)**

**DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT  
HIMACHAL PRADESH  
SHIMLA- 171009**

ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश,  
शिमला–171009

## विषय सूची

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या
I. ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन	1
II. प्रदेश में विकास खण्डों का विवरण	1-4
III. ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा	4
1. राज्य स्तर पर	4
2. निदेशालय स्तर पर	4-5
3. जिला स्तर पर	5
4. विकास खण्ड स्तर पर	5-6
5. ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें	6
6. कर्मचारी पद्धति(स्टाफिंग पैटर्न)	6-7
7. विभाग के कार्य/गतिविधियां	7-8
8. राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन प्रकोष्ठ	9
IV. ग्रामीण विकास कार्यक्रम / योजनाएं	9
1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम	10
2. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	10-13
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	13-19
4. इन्दिरा आवास योजना	20-21
5. राजीव आवास योजना	21-22
6. मातृ शक्ति बीमा योजना	22-23
7. जलागम विकास परियोजनाएं	24-36
8. निर्मल भारत अभियान	36-40
V. सूचना का अधिकार अधिनियम	40-41

## I. ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन देश की स्वतन्त्रता के पश्चात से ही प्रमुख समस्याएं रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर, 1952 से देश भर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य जन-सहयोग से ग्रामीण विकास को सम्भव करना था। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रारूपीकरण तथा कार्यान्वयन के लिए विकास खण्डों का सृजन किया गया।

वर्ष 1999 तक स्वरोजगार योजनाएं नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0), ग्रामीण युवाओं के लिए स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम(ट्राईसम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण दस्तकारों के लिए उन्नत औजार प्रदान करने की योजना, दस लाख कूप योजना और गंगा कल्याण योजना कार्यान्वित की जा रही थी। परन्तु 1-4-1999 से ये योजनाएं स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में समेकित कर दी गईं। इसी प्रकार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना भी चलाई जा रही थी। परन्तु 1-4-2002 से ये योजनाएं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समेकित कर दी गई हैं।

### ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999-2000 से आरम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न आयवर्धक गतिविधियां शुरू करने हेतु अनुदान एवं ऋण प्रदान करना है। इस योजना में स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे ग्रामीण निर्धनों को समूहों में गठित करना, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, समूह गतिविधियों का नियोजन, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, ऋण तथा विपणन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। यह योजना 01-4-2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समेकित कर दी गई है।

संसद ने सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसा परिवार, जिसके सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु आगे आते हैं, को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू हुआ जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया था। राज्य में जिला चम्बा और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा व मण्डी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के अन्य 8 जिलों को 1 अप्रैल, 2008 चरणबद्ध तरीके से इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत परतीभूमि विकास परियोजना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत जलागम प्रबन्धन, इन्दिरा आवास योजना, निर्मल भारत अभियान तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना इत्यादि का केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके।

## II. प्रदेश में विकास खण्डों का विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विकास खण्ड एक महत्वपूर्ण इकाई है। हिमाचल प्रदेश में 78 विकास खण्ड हैं। जिलावार विकास खण्डों का निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम	
1	बिलासपुर	1	बिलासपुर
		2	घुमारवीं
		3	झण्डूता
		4	नैना देवी जी स्थित स्वारघाट
2	चम्बा	1	चम्बा
		2	मैहला
		3	सलूणी
		4	तीसा
		5	भटियात
		6	पांगी
		7	भरमौर
3	हमीरपुर	1	हमीरपुर
		2	बिझड़ी
		3	भोरंज
		4	नादौन
		5	सुजानपुर टीहरा
		6	बमसन
4	कांगड़ा	1	बैजनाथ
		2	भवारना
		3	पंचरूखी
		4	लम्बागांव
		5	नगरोटा बगवां
		6	नगरोटा सूरियां
		7	कांगड़ा
		8	रैत
		9	नूरपुर
		10	इन्दौरा
		11	देहरा
		12	प्रागपुर
		13	फतेहपुर
		14	सुलह
		15	धर्मशाला
5	किन्नौर	1	कल्पा
		2	निचार
		3	पूह

6	कुल्लू	1	नग्गर
		2	कुल्लू
		3	बंजार
		4	आनी
		5	निरमण्ड
7	लाहौल स्पीति	1	लाहौल स्थित केलांग
		2	स्पीति स्थित काजा
8		1	मण्डी (सदर)
		2	बल्ह
		3	सुन्दरनगर
		4	करसोग
		5	गोहर
		6	गोपालपुर
		7	द्रंग
		8	चौतड़ा
		9	धर्मपुर
		10	सिराज
9	शिमला	1	मशोबरा
		2	टियोग
		3	नारकण्डा
		4	रामपुर
		5	चौपाल
		6	जुब्बल-कोटखाई
		7	रोहडू
		8	छौहारा
		9	बसंतपुर
		10	ननखडी
10	सिरमौर	1	पच्छाद
		2	नाहन
		3	शिलाई
		4	संगडाह
		5	पावटा
		6	राजगढ़
11	सोलन	1	कण्डाघाट
		2	कुनिहार
		3	धर्मपुर
		4	सोलन

		5	नालागढ़
12	ऊना	1	बंगाणा
		2	अंब
		3	गगरेट
		4	ऊना
		5	हरोली

### III. ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा

हिमाचल में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग का ढांचा निम्नलिखित है:-

#### 1 राज्य स्तर पर:-

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए निदेशक-एवं-विशेष सचिव, संयुक्त निदेशक-एवं-उप सचिव(ग्रा0वि0)-I&II कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर निम्नलिखित कक्ष कार्य कर रहे हैं:-

#### (क) राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ

उप-निदेशक (ग्रा0वि0) प्रकोष्ठ का कार्यक्रम अधिकारी है। इन्दिरा आवास योजना, राज्य आवास योजना और मातृ-शक्ति बीमा योजना इत्यादि योजनाएं भी उप-निदेशक (ग्रा0वि0) द्वारा देखी जा रही हैं।

#### (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

उप-निदेशक (सां0) तथा सहायक निदेशक (मनरेगा) प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी हैं।

#### (ग) राज्य स्तरीय नोडल संस्था (जलागम)

परियोजना निदेशक (एस0एल0एन0ए0), प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है। परियोजना निदेशक (एस0एल0एन0ए0) एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रमों के प्रभारी हैं।


#### (घ) निर्मल भारत अभियान

उप-निदेशक एवं परियोजना निदेशक (एन0बी0ए0/एन0आर0एल0एम0) प्रकोष्ठ के कार्यक्रम अधिकारी है।

#### 2 निदेशालय स्तर पर:-

निदेशालय स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग, निदेशक एवं विशेष सचिव (ग्रामीण विकास), के नियन्त्रण में कार्य कर रहा है तथा उनके सहयोग के लिए उप-सचिव(ग्रा0वि0)-I&II, उप-निदेशक तथा अधिशषी अभियंता कार्यरत हैं।

## निदेशालय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा



### 3 जिला स्तर पर:-

जिला स्तर पर सभी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उत्तरदायी बनाया गया है। उपायुक्त ग्रामीण विकास अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किये गये हैं। परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार) सहायक परियोजना अधिकारी (महिला) सहायक परियोजना अधिकारी, (जलागम) परियोजना अर्थशास्त्री, अधीक्षक, सांख्यिकीय अन्वेक्षक, वरिष्ठ सहायक, लिपिक व सेवादार उन्हे अभिकरण के कार्यों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। उपायुक्तों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की एक शासकीय निकाय है। ये निकाय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं।

### 4 विकास खण्ड स्तर पर:-

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने में सहायता की जाती है:-

क्र०सं०	पदनाम
1	अधीक्षक
2	कनिष्ठ अभियन्ता
3	महिला समाज शिक्षा संगठक/आयोजिका
4	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी
5	वरिष्ठ सहायक (प्रगति)

6	वरिष्ठ सहायक
7	लिपिक / आशु टंकक
8	पंचायत सचिव / सहायक
9	कम्प्यूटर ऑप्रेटर
10	ग्राम रोज़गार सेवक
11	ग्राम विकास संयोजिका
12	चालक
13	सेवादार
14	सफाई कर्मचारी / चौकीदार

## 5. ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी सेवायें

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्य सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्रदान करने के आशय से 3 पद अधिशाषी अभियन्ता, 36 पद सहायक अभियन्ता, 171 पद कनिष्ठ अभियन्ता, 3 पद मुख्य प्रारूपकारों और 24 पद प्रारूपकारों के सृजित किये गये हैं। राज्य स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा दो कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा अन्य लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का 1 अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। धर्मशाला तथा मण्डी में आंचलिक कार्यालय जिसमें अधिशाषी अभियन्ता अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक, आशुटंकक, लिपिक, चालक तथा सेवादार के पद सृजित किये गये हैं जो तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यरत है।

## 6. कर्मचारी पद्धति (स्टाफिंग पैटर्न)

श्रेणीवार स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की 31.3.2014 तक की स्थिति तालिका- III में दर्शाई गई

है:-

क्र०सं०	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	उप -निदेशक (ग्रा०वि०)	1	---	1
2.	खण्ड विकास अधिकारी	113	95	18
3.	प्रशासनिक अधिकारी	01	--	01
4.	अधिशाषी अभियन्ता	03	03	--
5.	सहायक अभियन्ता (विकास)	36	17	19
6.	अधीक्षक ग्रेड-1	01	---	01
7.	अधीक्षक ग्रेड-11	101	93	8
8.	विकास अधिकारी (महिला कार्यक्रम)	5	2	3
9.	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी	80	74	06
10.	पंचायत सचिव	1208	604	604
11.	कनिष्ठ अभियन्ता	83	44	39



12.	वरिष्ठ सहायक	187	187	...
13.	वरिष्ठ सहायक (प्रगति)	78	78	0
14.	अन्वेषक	2	2	—
15.	सांख्यिकीय सहायक	3	0	3
16.	मुख्य प्रारूपकार	3	3	—
17.	प्रारूपकार	24	18	6
18.	लिपिक	218	158	60
19.	अशुटंकक	37	10	27
20.	कनिष्ठ आशुटंकक	02	01	01
21.	वरिष्ठ आशु टंकक	01	01	--
22.	निजी सहायक	01	01	--
23.	चालक	87	82	5
24.	महिला समाज शिक्षा आयोजिका / संगठक	79	74	5
25.	महिला ग्राम विकास संयोजिका	176	55	121
26.	कनिष्ठ सिलाई अध्यापिका	19	19	--
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	376	351	25

## 7 विभाग के कार्य / गतिविधियां:-

विभाग के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:-

### 7.1 गतिविधियां

विभाग में विभिन्न विकास कार्यों जैसे सामुदायिक विकास, आवास योजनाओं जैसे इन्दिरा आवास योजना और अटल आवास योजना, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जलागम विकास परियोजनाएं, (आई0डब्ल्यू0डी0पी0, डी0डी0पी0, डी0पी0ए0पी0 तथा एकीकृत जलागम प्रबन्धन), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम व निर्मल भारत अभियान विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

### 7.2 कार्य

उपरोक्त दिये गये विभाग के सभी कार्यों के लिये विभाग के विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेवारियों निम्न प्रकार से हैं:-

#### i) प्रधान सचिव ग्रामीण विकास

- प्रदेश सरकार को नीति निर्धारण एवं प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना।

#### ii) निदेशक एवं विशेष सचिव

- विभाग का पूर्ण प्रशासकीय व वित्तीय नियन्त्रण।

### iii) अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक/उप-सचिव (ग्रामीण विकास)

- प्रधान सचिव (ग्रा0वि0), निदेशक ग्रामीण विकास को नीति निर्धारण, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों पर नियन्त्रण में सहयोग देना तथा अन्य सौंपे गए कार्य करना।

### iv) उप-निदेशक ग्रामीण विकास/सांख्यिकीय

- निदेशक महोदय को केन्द्रीय तथा राज्य के कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के प्रशासकीय नियन्त्रण में सहयोग देना तथा प्रधान सचिव एवं विशेष सचिव को नीति निर्धारण में सहयोग देना।

### v) सांख्यिकीय अधिकारी

- उप-निदेशक सांख्यिकीय को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग देना तथा विशेष रूप से आवधिक रिपोर्टों तथा अनुश्रवण में सहयोग देना।

### vi) उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)

- विकास खण्डों का वार्षिक निरीक्षण करना, लेखा परीक्षा रिपोर्टें तैयार करना, महालेखा परीक्षक/जनलेखा समिति के द्वारा मांगे गये पैरों के उत्तर बनाकर समायोजित करना तथा छः अनुभाग अधिकारियों के सहयोग से परामर्श हेतु मामलों में सुझाव देना।

### vii) अधिकाधी अभियन्ता (ग्रा0वि0) शिमला मुख्यालय :

- विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन का टैस्ट चैक तथा निरीक्षण करना, विभिन्न विकासात्मक कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों का अनुश्रवण, वित्तीय, संख्यात्मक, गुणात्मक पहलुओं को ध्यान रखते हुए करना। इसके अतिरिक्त मुरम्त कार्यों का प्राक्कलन तैयार करना, कार्यों का निर्धारण, कार्यों के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना, कार्यों का निरीक्षण, प्राक्कलनों की जांच करना, निविदाओं की स्वीकृति, अनुबन्ध तैयार करना, केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं इत्यादि। इनके अधीन सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/मुख्य प्रारूपकार/ प्रारूपकार कार्यरत हैं।

### viii) अधीक्षक ग्रेड-I, II/सी0डी0-II, सी0डी0-III/ अधिकाधी अभियन्ता/रोकड़ एवं बजट

- क. अधीक्षक शाखा -I, II प्रशासनिक अनुभव द्वारा निष्पादित कार्यों की देखरेख।
- ख. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग को प्रतिनियुक्त करना तथा उनके दैनिक कार्यों की देखरेख करना।
- ग. यह सुनिश्चित करना कि सभी सम्बन्धित सहायक सभी तरह के सहायक रजिस्ट्रों एवं अन्य अभिलेख का रखरखाव करें।
- घ. डाक भेजना तथा नस्तियों को अनुभाग एवं उच्च अधिकारियों को भेजने हेतु उनकी देखरेख करना।
- च. समयबद्ध मामलों तथा न्यायालय मामलों का समय पर निष्पादन करना।
- छ. यह सुनिश्चित करना कि मैनुअल, नियम, दिशा-निर्देश तथा रक्षक नस्ति, प्रेसिडेंट रजिस्टर का रखरखाव नियमानुसार किया जा रहा है।

## 8 राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निदेशालय स्तर पर वर्ष 1999-2000 में राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन किया है।

### 8.1 कार्य

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का कार्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विकासात्मक योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना है। जैसे कि माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, मातृ-शक्ति बीमा योजना, प्रशासन में व्यय इत्यादि। इसके अतिरिक्त वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना भी प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी होगी।

### 8.2 स्वीकृत कर्मचारी वर्ग

राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ में स्वीकृत पद तालिका में दर्शाए गए हैं:-

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक	1
2	उप-निदेशक (सांख्यिकीय)	1
3	विषयवाद विशेषज्ञ	2
4	सांख्यिकीय अधिकारी	1
5	अधीक्षक ग्रेड-1	1
6	सहायक अभियन्ता (विकास)	1
7	सांख्यिकीय अन्वेषक	4
8	सांख्यिकीय सहायक	5
9	वरिष्ठ सहायक	4
10	प्रशासनिक अधिकारी (अंकेक्षण)	1
11	लेखाकार / रोकड़िया	1
12	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
13	कनिष्ठ आषु टंकक	1
14	लिपिक एवं टंकक	3
15	सेवादार	2

उक्त कर्मचारियों की संख्या पहले से ही निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को सम्मिलित कर के है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की मार्गनिर्देशिका के अनुसार प्रकोष्ठ का प्रशासनिक व्यय जिलों से प्राप्त (केन्द्रीय अंश + राज्य अंश) के 10 प्रतिशत में से किया जाता है।

## IV. ग्रामीण विकास कार्यक्रम

प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

## 1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम:-

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं, सामुदायिक विकास की पुरानी रूपरेखा पर आधारित है, जिनका उद्देश्य जन-समुदाय के सहयोग से उनका विकास करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को सामाजिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा मदों के तहत सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। विकास खण्डों में कर्मचारियों के लिए आवास गृह के निर्माण तथा ग्राम सेवक भवनों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए धन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मुख्यालय, विकास खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया जाता है। महिला मण्डलों को प्रोत्साहित करने तथा सुदृढ करने के प्रयोजन से 'महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना' तथा महिला मण्डलों के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन करने के लिए भी विकास खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।

चालू वित्त वर्ष 2013-14, के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए रु 8573.61 लाख रु0 31.3.2014 तक व्यय किये गये हैं।

## 2. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

- गरीब व गरीब में सबसे गरीब परिवारों को मजबूत करने, उनको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता और सामाजिक एकजुटता प्रदान करने के लिए तथा संस्थाओं एवं क्षमता का निर्माण, वित्तीय समावेश, संतुष्ट दृष्टिकोण और स्थाई आजीविका का एक पोर्टफोलियो स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एसजीएसवाई के स्थान पर 1 अप्रैल, 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य सभी गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना, उन्हें आजीविका के सतत अवसरों से जोड़ना और गरीबी से बाहर आने तथा एक सभ्य गुणवत्ता के जीवन का आनन्द लेने तक उनका पोषण करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने विभिन्न स्तरों पर एक समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना का प्रावधान किया है। ये संरचनाएं गरीब की जन्मजात क्षमता को उभारने एवं बाहरी वातावरण से निपटने तथा वित्त और अन्य संसाधनों के उपयोग के लिए पूरक के रूप में समर्थ बनाने की दिशा में काम करती हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से पंजीकृत सोसाइटी हिमाचल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के लिए पहले से ही स्थापित की जा चुकी है। एक स्वतन्त्र कार्यालय आवास एच0पी0एम0सी0 की इमारत, निगम विहार, शिमला-2 में किराए पर लिया गया है एवं नए परिसर में कार्यालय स्थापित किया जा चुका है जिसमें 21 अप्रैल, 2014 से कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम लागत को 75:25 में केंद्र और राज्य द्वारा साझा किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत शुरू में सभी गरीब और अति गरीब परिवारों, और बाद में मामूली रूप से गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले

परिवारों का चयन गरीबों की भागीदारी से पहचान प्रक्रिया (पी0आई0पी0) के द्वारा किया जाएगा। उनको स्वयं सहायता समूहों, उनकी संस्थाओं और बैंक से बार-बार माइक्रोफाइनांसिंग के लिए जोड़ा जाएगा। बीपीएल सूची के अतिरिक्त गरीबों की भागीदारी पहचान प्रक्रिया (पी0आई0पी0) के द्वारा चयनित तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित एवं ग्राम पंचायत द्वारा संशोधित गरीब, अति गरीब तथा कमजोर परिवारों की सूची राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्षित समूह होगा।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का 01.04.2013 को राज्य में शुभारम्भ हुआ तथा इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020-21 के अन्त तक राज्य के सभी जिलों और खण्डों में किया जाएगा। प्रारम्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार गहन और गैर गहन खण्डों की रणनीति को अपनाया गया है। वर्तमान में इसका कार्यान्वयन प्रदेश के पांच गहन खण्डों क्रमशः जिला सोलन में कण्डाघाट, जिला शिमला में बसन्तपुर, जिला मण्डी में सदर मण्डी, जिला कांगड़ा में नूरपुर तथा जिला ऊना में हरोली में किया जा रहा है। शेष गैर गहन खण्डों को अगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु लिया जाएगा।
- प्रदेश के दो जिलों शिमला और मण्डी में गठित सभी महिला स्वयं सहायता समूहों (चाहे वे किसी भी एजेंसी द्वारा गठित किए गए हों) को ऋण पर ब्याज दर 7% वार्षिक होगी तथा इन दोनों जिलों के WSHGs को 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट के लिए चयनित किया गया है। किन्तु यह केवल उन्हीं WSHGs के लिए लागू होगी जो ऋण की अदायगी निर्धारित समय सीमा के भीतर करेंगे। शेष बचे 10 जिलों में ब्याज दर बैंकों की ही लागू होगी किन्तु निर्धारित समयसीमा पर ऋण की अदायगी करने वाले WSHGs को ब्याज दर 7% वार्षिक होगी। सभी ऋणों पर ब्याज के अन्तर की राशी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 की भागीदारी में वहन की जाएगी।
- प्रस्तावित विशेषज्ञों जिन्हें नियुक्ति अभिकरण द्वारा वार्षिक अनुबन्ध एवं उनके कार्य निष्पादन क्षमता के आधार पर भरा जाना है का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	राज्य स्तर पर पद	जिला स्तर पर पद	खण्ड स्तर पर पद
2014-15	03 (चीफ ओपरेटिंग आफिसर सहित)	17	34
2015-16	04	17	49
2016-17	0	06	52

- वर्तमान में हि0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	नाम पद	संख्या
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य सरकारी स्टाफ	4
2	राज्य स्तर पर विशेषज्ञ	4
3	जिला स्तर पर सरकारी स्टाफ	10 जिला मिशन प्रबन्धक-5 महिला समाज शिक्षा आयोजिका-5
4	खण्ड स्तर पर स्टाफ	16 खण्ड विकास अधिकारी-5 महिला समाज शिक्षा आयोजिका-5 महिला ग्राम विकास संयोजिका-3 क्षेत्रीय समन्वयक-3


- आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं:-
  - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नियमावली ।
  - हि० प्र० आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु संचालन मार्गदर्शिका ।
  - स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु सामुदायिक संचालन नियमावली ।
  - ग्राम संगठन व खण्ड संगठन एवं स्वयं सहायता समूह सदस्यों में परस्पर करारनामा प्रपत्र ।
  - स्वयं सहायता समूह एवं बैंक के मध्य करारनामा एवं ऋण हेतु मानक ऋण आवेदन प्रपत्र ।
  - सहभागिता से गरीबों की पहचान के लिए नियमावली ।
  - प्रचार प्रसार सामग्री ।
  - स्वयं सहायता समूह के संचालन हेतु पुस्तिका ।
- निम्नलिखित नियमावलियां अभी तैयार की जा रही हैं :-
  - मानव संसाधन नियमावली ।
  - वित्तीय नियमावली ।
  - अन्य विभागों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों के लिए को-ऑपेशन पॉलिसी ।
  - पी. आर.पी.सी.आर. पी नीति ।

जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियां वर्ष 2013-14

क्र०	जिला	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	ऋण लक्ष्य (लाख रु० में )	उपलब्धियां (लाख रु० में )
1.	बिलासपुर	205	116	613.98	68.5
2.	चम्बा	548	85	1642.99	86.1
3.	हमीरपुर	230	198	691.08	207.8
4.	कांगडा	747	328	2239.97	435.34
5.	किन्नौर	33	16	100.01	24.00
6.	कुल्लु	133	98	399.02	255.2

7.	लाहौल –स्पीति	28	61	84.99	2.58
8.	मण्डी	488	1058	1464.00	303.03
9.	शिमला	374	602	1122.00	796.75
10.	सिरमौर	162	133	485.00	110.74
11.	सोलन	206	150	618.98	256.33
12.	ऊना	179	100	537.98	28.63
कुल		3333	2945	10000.00	2575.00

### जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियां वर्ष 2013-14



### 3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम :-

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी 2006 में इसे लागू किया गया। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्डी तथा जिला कांगडा में लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को लागू किया गया।

#### 1. मुख्य लक्ष्य :-

इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को प्रदान करने हेतु प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

#### 2. योग्यता :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत परिवार मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का

वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। 100 दिनों का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में परिवार के बीच में बांटा जा सकता है।

सभी व्यस्क सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए वह :-

क ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

ख स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने का इच्छुक हो।

ग स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।

### 3. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र और जॉब कार्ड जारी करना :-

पंजीकरण के लिए आवेदन सादे कागज पर भी दिया जा सकता है और निर्धारित प्रपत्र पर भी जो कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध है और पंजीकरण मौखिक रूप से भी करवाया जा सकता है। आवेदन पत्र में उन सभी व्यस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं जिसमें आयु, वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का विवरण भी दिया गया हो। छानबीन के उपरान्त सभी विवरणों को पंजीकरण रजिस्टर में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक परिवार को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जाता है। आवेदन पत्र के पंजीकृत होने के 15 दिन के भीतर – भीतर जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। आवेदनकर्ता जो व्यस्क है उनका फोटो जॉब कार्ड में लगाया जाता है। जॉब कार्ड पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। जॉब कार्ड तथा फोटो का व्यय योजना के तहत वहन किया जाता है।

### 4. कार्य के लिए आवेदन और रोजगार आबटिट करना :-

कार्य के लिए आवेदन ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्य के लिए आवेदन लिखित रूप में करना होगा और इसकी प्राप्ति दिनांक सहित आवेदक को आवश्यक रूप से देनी होगी। आवेदन पत्र कम से कम 14 दिनों के लिए लगातार कार्य के लिए होगा। आवेदनकर्ता जिसे कार्य प्रदान किया जाता है उसे पत्र के द्वारा, जो उसने जॉब कार्ड पर अपना पता दिया है, सूचित किया जा सकता है और ग्राम पंचायत के सार्वजनिक सूचना पट पर दर्शाया जा सकता है। आवेदनकर्ता को आवेदन प्राप्ति की दिनांक के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है।

### 5. स्वीकार्य कार्य :-

#### I श्रेणी अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से सम्बन्धित लोक निर्माण

- (i) पेय जल स्रोत सहित परष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य
- (ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणाम स्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य।
- (iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृज-1, पनरुज्जीवन और अनुरक्षण।
- (iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरुज्जीवन।



- (v) पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सडक सीमांतों, नहर बन्द, कुडं तटाग्र और तटीय पटटी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना और बागवानी तथा
- (vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

## II श्रेणी आ: दुर्बल वर्गों के लिए व्याष्टिक आस्तियां

- (i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन सरंचनाओ सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।
- (ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।
- (iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि का विकास।
- (iv) इन्दिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक।
- (v) कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवधन के लिए अवसंरचना का सृजन करना और
- (vi) मछली शुष्कण याडों, भंडारण सुविधाओं जैसे मतस्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मतस्यपालन के संसवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना।

## III श्रेणी इ: एनआरएलएम शिकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

- (i) जैव उर्वरकों और पशु कटाई सुविधाएं जिनके अन्तर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने कलए संकर्म और
- (ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्याशाला।

## IV श्रेणी ई: ग्रामीण अवसंरचना

- (i) विहित संनियमों के अनुसार स्वत्रंत रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाडी शौचालयां जैसे कार्यों से सम्बन्धित ग्रामीण स्वच्छता।
- (ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सडक नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोडने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सडक संयोजकता उपलब्ध कराना, और ग्राम में पक्की आंतरिक सडकें या गलियों, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालिया और पुलिया भी हैं का संनिर्माण।
- (iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण।

- (iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सडकों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत बाढ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी है, का जीर्णोद्धार जलमग्न क्षेत्रों में अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ जलमार्गों की मुरम्मत करने, चायर जीर्णोद्धार तटीय संरक्षण के लिए तुफानी जल नालियों का संनिर्माण सम्बन्धी संकर्म।
- (v) ग्राम पंचायतों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंधों, चकवात आश्रय, आंगनवाडी केन्द्रों, ग्रामीण होटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण।
- (vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20)के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण।
- (vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन।
- (viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव और।
- (ix) कोई अन्य कार्य, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

संकर्म की प्राथमिकता क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं स्थानीय संसाधनों का ध्यान में रखते हुए तथा पैरा 9 के उपबन्धों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा।

ऐसे संकर्म, जो अमूर्त हैं, अमापनीय है, पुनरावृत्तीय है जैसे घास, कंकर हटाना, कृषि संक्रियाएं जो नहीं की जाएंगी।

- 5 व्यष्टिक आस्तियां सृजित करने वाले संकर्मों को निम्नलिखित से सम्बन्धित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जाएगी।

क	अनुसूचित जाति
ख	अनुसूचित जनजाति
ग	घुमन्तु जनजाति
ध	अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां
ड	गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब
च	महिला प्रधान वाले कुटुंब
छ	शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब
ज	भूमि सुधारों के फायदाग्राही
झ	इन्दिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही
त्र	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही और

इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमान्त किसानों की भूमि पर उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात कि कुटुंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरम्भ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा।

**6. निधियों की भागीदारी:-**

**निम्नलिखित का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है:-**

- क) अकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी।
- ख) 75 प्रतिशत राशि का व्यय जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।
- ग) प्रशासनिक खर्चा।

**निम्नलिखित का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा:-**

- क) 25 प्रतिशत राशि जो सामग्री एवं कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय होती है।
- ख) बेरोजगारी भत्ता।
- ग) राज्य रोजगार गारंटी कौंसिल का प्रशासनिक खर्चा।

**7. मजदूरी का भुगतान:-**

- क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना के अधीन कार्य कर रहा है मजदूरी का हकदार होगा जो भारत सरकार / राज्य सरकार ने अधिसूचित की हो।
- ख) पुरुष एवं स्त्री कामगारों को समान वेतन मजदूरी दी जाएगी।
- ग) कामगारों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- घ) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी उन द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप दी जाती है जो कि दर सूची पर आधारित है।

**8. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान:-**

- i) इस योजना के तहत यदि आवेदक को अपने आवेदन की मांग प्राप्त के 15 दिनों के भीतर या जिस तारीख से रोजगार के लिए आवेदन किया हो भत्ते का एक चौथाई हिस्सा एक माह तक प्रदान किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि को भत्ते की आधी मजदूरी प्रदान की जाएगी।
- ii) बेरोजगारी भत्ते का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा जिस तरह वेतन का भुगतान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उस तारीख के बाद 15 दिन से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए जिस दिन से सम्बन्धित आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो चुका है।
- iii) राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं होगी यदि :-
  - अ आवेदक को ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी ने काम के लिए निर्दिष्ट किया हो।
  - ब जिस अवधि के लिए रोजगार मांगा गया हो वह समाप्त हो गई हो और परिवार के किसी सदस्य को रोजगार के लिए आवेदन न किया हो।
  - स आवेदक के परिवार में से व्यस्क सदस्य ने 100 दिनों का कार्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान कर लिया हो।
  - द यदि आवेदक ने एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के कार्य के बराबर मजदूरी रोजगार प्राप्त कर लिया हो।

**9. कार्य योजना को तैयार करना:-**

ग्राम सभा योजना के अधीन लिए गये कार्यों की सिफारिश करेगी जिनको ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित किया जाएगा और जिन्हे खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया

जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी को खण्ड कार्यक्रम अधिकारी का पदनाम दिया गया है। खण्ड कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रस्तावों और कार्यों की, जिन्हे पंचायत समिति द्वारा खण्ड योजना में संकलित किया है, पंचायत समिति के अनुमोदन के उपरान्त इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को प्रेषित करता है। उपायुक्त को जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) का पदनाम दिया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) प्रस्तावों को एकत्रित करके इसे जिला परिषद से अनुमोदित करवाते हैं। जिला परिषद के अनुमोदन उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

**हिमाचल प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी फंड के खाता में वर्ष 2013-14 की प्राप्तियों व अदायगियों का ब्यौरा लाखों में**

प्राप्तियां	धनराशि	अदायगी		
		जिला का नाम	(अग्रिम राशि)	
आरम्भिक शेष	7,65,97,307			
केन्द्रीय हिस्सा	477,97,09,000			
राज्य हिस्सा	4,791,51,000	pEck	75,78,00,000	
विविध प्राप्तियां (interest income)	122,43,881	fljekSj	35,46,00,000	
100 दिनों से अधिक रोजगार देने पर की गई वसूली।	23,72,334	dkaxMk	114,78,00,000	
Amount received on account of training	19,50,000	e.Mh	132,03,00,000	
		fcykliqj	26,57,00,000	
		gehjiqj	22,86,00,000	
		dqYyw	9,90,00,000	
		fdUukSj	35,24,00,000	
		yk0 ,oa fLifr	2,54,00,000	
		f'keyk	36,12,00,000	
		lksyu	22,22,00,000	
		Åuk	21,41,00,000	
		;ksx	534,91,00,000	
		Training fund transferred to New account	19,50,000	
		vfUre 'ks''k	9,73,522.000	
<b>कुल योग</b>	<b>5352023522</b>	<b>dqy ;ksx</b>	<b>535,20,23,522</b>	

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 की प्रगति (upto 2-12-2014)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष की प्रगति का विवरण

(रु0 लाखों में)

A	भौतिक प्रगति	चम्बा	सिरमौर	कांगडा	मण्डी	बिलासपुर	हमीरपुर	किन्नौर	कुल्लू	ला0 एवं स्पिति	शिमला	सोलन	ऊना	योग
1	कुल परिवारों की संख्या जिन्हें जॉब कार्ड जारी किये	105635	78492	235537	221673	65488	85112	15128	89814	6200	119863	80618	72066	1175626
2	रोजगार मांगने वाले कुल परिवारों की संख्या	68764	38053	111396	141972	28119	28303	9045	45427	3502	52926	25301	19403	572211
3	कुल परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया	64181	35820	103377	135038	26490	26644	8815	43855	3386	50778	23326	17513	539223
4	कुल अर्जित कार्यदिवस [लाखों में]	34.48	18.45	56.68	74.19	14.09	13.60	5.14	21.30	1.56	20.86	11.68	10.46	282.49
5	अनुसूचित जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस	6.54	6.16	14.87	21.52	3.71	4.15	2.02	6.57	0.09	6.13	4.3	4.26	80.32
6	प्रतिशतता	19	33	26	29	26	31	39	31	6	29	37	41	28
7	अनुसूचित जन-जाति द्वारा अर्जित कार्यदिवस	10.13	0.23	3.60	0.85	0.57	0.13	3.08	0.3	1.45	0.07	0.16	0.25	20.82
8	प्रतिशतता	29	1	6	1	4	1	60	1	93	0	1	2	7
9	महिलाओं द्वारा अर्जित कार्यदिवस	16.20	5.81	40.82	56.50	7.80	10.22	3.55	12.2	1.07	10.68	5.14	6.61	176.60
10	प्रतिशतता	47	31	72	76	55	75	69	57	69	51	44	63	63
11	100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	6118	4161	13426	14054	3147	2933	1015	2895	157	1363	2210	3957	55436
12	कुल कार्यों की संख्या	9904	5071	11269	17496	5817	3156	790	6711	622	6841	2797	1793	72267
13	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	5338	2979	8395	9736	3044	3471	844	5026	380	5653	1585	1464	47915
14	प्रतिशतता	35	37	43	36	34	52	52	43	38	45	36	45	40
15	प्रगति पर कार्यों की संख्या	15242	8050	19664	27232	8861	6627	1634	11737	1002	12494	4382	3257	120182
B	वित्तीय प्रगति	चम्बा	सिरमौर	कांगडा	मण्डी	बिलासपुर	हमीरपुर	किन्नौर	कुल्लू	ला0 एवं स्पिति	शिमला	सोलन	ऊना	योग
1	vkjfeHkd 'ks" k 1-4-2013 ½Tentative½	572.81	338.98	704.74	1128.33	231.62	658.52	154.27	480.59	56.41	640.67	315.13	228.35	5510.42
2	ftykss dks fueqZDr dh xbZ jkf'k (yk[kksa es)	7578.00	3546.00	11478.00	13203.00	2657.00	2286.00	990.00	3524.00	254.00	3612.00	2222.00	2141.00	53491
3	fofo/k izkfIr;ka	99.15	42.15	112.58	144.54	22.32	63.29	15.44	29.30	4.91	59.04	23.74	29.83	646.29
4	dqy ;ksx	8249.96	3927.13	12295.32	14475.87	2910.94	3007.81	1159.71	4033.89	315.32	4311.71	2560.87	2399.18	59647.71
5	dqy [kPkkZ	7641.87	3799.56	12018.85	14243.58	2819.99	2906.15	1102.96	3939.94	276.75	3981.24	2173.17	2305.13	57209.19
6	izfr'kRkrk	93	97	98	98	97	97	95	98	88	92	85	96	96
7	अकुशल मजदूरी पर व्यय	4995.75	2387.36	7392.50	10245.20	1877.80	1761.77	864.33	2796.20	224.48	2581.91	1477.51	1358.88	37963.69
8	अर्ध कुशल मजदूरी व कुशल मजदूरी पर व्यय	297.65	105.81	306.98	430.66	45.02	57.81	41.64	116.46	8.18	180.75	38.09	66.79	1695.84
9	सामग्री पर व्यय	2042.53	1122.67	3699.42	3062.71	778.57	916.72	143.83	836.75	28.35	971.46	525.78	776.5	14905.29
10	प्रशासनिक व्यय [लाखों में]	305.45	180.77	605.89	499.30	118.40	168.97	53.16	188.46	15.74	246.41	129.92	101.77	2614.24
11	कर	0.49	2.95	14.06	5.71	0.2	0.88	0	2.07	0	0.71	1.87	1.19	30.13

12	izfr'kRkrk	93	97	98	98	97	97	95	98	88	92	85	96	96
----	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### 4. इन्दिरा आवास योजना:-

इन्दिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गृहहीन व्यक्तियों के लिए नये घरों के निर्माण के लिए 75000/- रू० प्रति लाभार्थी सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 की वित्तीय भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही है। लक्ष्यों का आबंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-


1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कुल आबंटन का 60 प्रतिशत
2. अन्य कुल आबंटन का 40 प्रतिशत
3. अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य में से 15 प्रतिशत
4. अपंग अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य में से 3 प्रतिशत

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(नये मकानों का निर्माण)

क्र० सं०	जिला का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	व्यय (राशि लाख रू० में)
1.	बिलासपुर	384	384	284.84
2.	चम्बा	949	815	548.363
3.	हमीरपुर	383	382	268.24
4.	कांगड़ा	1130	1110	674.597
5.	किन्नौर	325	54	142.26
6.	कुल्लू	478	459	358.50
7.	लाहौल-स्पिति	144	144	88.72
8.	मण्डी	1070	1089	692.59
9.	शिमला	681	681	510.75
10.	सिरमौर	569	569	460.93
11.	सोलन	548	500	387.35
12.	ऊना	403	378	295.085
कुल योग		7064	6565	4712.23

## वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति



### 5. राजीव आवास योजना:-


यह योजना राज्य आवासीय योजना है, जोकि इन्दिरा आवास योजना की पद्धती पर चलाई जा रही है। वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका में दर्शाई गई है:-

### वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (नये मकानों का निर्माण)

क्र०सं०	जिला का नाम	लक्ष्य	निर्मित मकान	व्यय (राशि लाख रु० में)	निर्माणाधीन मकान
1.	बिलासपुर	95	95	60.58	0
2.	चम्बा	289	64	115.968	225
3.	हमीरपुर	107	107	80.66	0
4.	कांगड़ा	346	148	229.521	198
5.	किन्नौर	33	3	15.82	30
6.	कुल्लू	61	40	45.79	21
7.	लाहौल-स्पिति	32	21	27.41	11
8.	मण्डी	226	89	157.51	137
9.	शिमला	173	173	129.75	0
10.	सिरमौर	75	75	52.83	0
11.	सोलन	96	88	69.83	8
12.	ऊना	83	74	59.55	9
<b>कुल योग</b>		<b>1616</b>	<b>977</b>	<b>1045.219</b>	<b>639</b>



## वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति



### 6. मातृ शक्ति बीमा योजना


यह योजना केवल महिलाओं के लिए है इस योजना के अर्न्तगत 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लाभ के लिए पात्र हैं। प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार ने मातृ शक्ति बीमा योजना नामक महिला योजना प्रारम्भ की है। इसका बीमा सम्बन्धित पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को मु0 187.50 लाख रू0 निर्मुक्त किए गए जिसमें से 188 मामले निपटाये गए। यह योजना परिवार की बीमागत महिला की मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो की स्थिति में मु0 1.00 लाख रू0 राहत प्रदान करती है:-

1. दुर्घटना से ।
2. किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबन्दी, सिजेरियन, गर्भाष्य, वक्षस्थल निकालने, बशर्ते मृत्यु आप्रेशन के सात दिन के भीतर हुई हो।
3. प्रजनन के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना से।
4. डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू-स्खलन, कीटडंक, सर्पदंष, भूचाल, आंधी तूफान से।
5. विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर भी यह योजना लागू है।
6. दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर मु0 1.00 लाख तथा एक अंग और एक आंख की क्षति पर मु 0.50 लाख रू0 की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
7. महिला के पति की मृत्यु होने पर मु0 1.00 लाख रू0 सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार लाभान्वित परिवारों की संख्या

क्र०सं०	जिला का नाम	परिवार लाभान्वित	धनराशि वितरित की गई (लाखों में)
1.	बिलासपुर	15	14.50
2.	चम्बा	33	33.00
3.	हमीरपुर	5	5.00
4.	कांगड़ा	19	19.00
5.	किन्नौर	6	6.00
6.	कुल्लू	10	10.00
7.	लाहौल-स्पिति	0	0.00
8.	मण्डी	31	31.00
9.	शिमला	49	49.00
10.	सिरमौर	11	11.00
11.	सोलन	3	3.00
12.	ऊना	6	6.00
कुल योग		188	187.50


वर्ष 2013-14 के दौरान जिलावार लाभान्वित परिवारों की संख्या





29	कुल्लू-III	0	0	0	0	0	0	0	0
30	कुल्लू-IV	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कुल्लू-V	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	मण्डी- II	5.383	0	0	0	5.247	10.630	7.62	124
33	मण्डी-III	6.262	0	0	0	4.278	10.540	10.26	17
34	मण्डी-IV	16.360	0	0	0	19.21	35.570	22.94	42
35	मण्डी-V	28.752	0	0	0	1.608	30.360	26.26	231
36	मण्डी-VI	66.050	0	0	0	0	66.050	58.09	215
37	मण्डी-VII	61.012	0	0	0	0.008	61.02	51.74	413
	योग	<b>183.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.351</b>	<b>214.170</b>	<b>176.91</b>	<b>1042</b>
38	शिमला- I	3.15	0	0	0	17.98	21.130	0	0
39	शिमला- II	7.726	0	0	0	0	7.726	4.48	0
40	शिमला-III	70.858	0	0	0	0	70.858	46.18	200
41	शिमला- IV	49.890	0	0	0	0	49.890	0	0
42	शिमला-V	17.91	0	0	0	0	17.91	7.00	50
43	शिमला- VI	130.70	0	0	0	0	130.70	32.61	0
44	शिमला- VII	104.50	0	0	0	0	104.50	72.94	1532
45	शिमला-VIII	60.611	0	0	0	0	60.611	38.08	1271
46	शिमला-IX	14.60	60.333	5.625	65.958	1.542	82.100	0	0
	योग	<b>459.945</b>	<b>60.333</b>	<b>5.625</b>	<b>65.958</b>	<b>19.522</b>	<b>545.425</b>	<b>201.290</b>	<b>3053</b>
47	सिरमौर- III	0	0	0	0	0	0	0	0
48	सिरमौर-IV	0	0	0	0	0	0	0	0
49	सिरमौर- V	22.630	0	0	0	0.54	23.170	23.170	417
50	सिरमौर-VI	27.120	0	0	0	0.64	27.760	27.760	465
	योग	<b>49.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.18</b>	<b>50.930</b>	<b>50.930</b>	<b>882</b>
51	सोलन-II	3.798	0	0	0	0	3.798	0	0
52	सोलन-III	35.389	0	0	0	10.00	45.389	3.356	48
53	सोलन-IV	1.479	0	0	0	4.56	6.039	1.735	28
54	सोलन-V	13.909	0	0	0	0	13.909	8.40	137
	योग	<b>54.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.560</b>	<b>69.135</b>	<b>13.491</b>	<b>213</b>
	कुल योग	<b>1309.496</b>	<b>145.162</b>	<b>15.760</b>	<b>160.922</b>	<b>111.512</b>	<b>1581.930</b>	<b>758.218</b>	<b>10444</b>

Detail of funds released,expenditure incurred & area covered during the year 2013-14




## 2. सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम:

यह कार्यक्रम प्रदेश के तीन जिलों में वर्ष 1995-96 से जिला बिलासपुर, उना तथा जिला सोलन के विकास खण्ड कुनिहार तथा धर्मपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 तक यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 की वित्तीय भागीदारी से चलाया जा रहा था। लेकिन 1.4.1999 से भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये नये वाटरशेड के लिए वित्तीय भागीदारी 50:50 से बदल कर 75:25 कर दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत 412 सूक्ष्म परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2013-14 में निर्मुक्त धनराशि, व्यय की गई धनराशि तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2013	वर्ष 2013-14 में निर्मुक्त की गई धनराशि			विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धन राशि	व्यय	भौतिक उपलब्धियाँ
			केन्द्रीय भाग	राज्य भाग	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिलासपुर छठा चरण	20.393	0	0	0	4.548	24.941	24.941	294
2	बिलासपुर सातवाँ चरण	10.26	0	0	0	2.264	12.524	12.524	91
3	बिलासपुर आठवाँ चरण	6.288	0	0	0	-0.900	5.388	5.388	62
4	बिलासपुर हरियाली प्रथम	5.101	0	0	0	3.205	8.306	8.306	72
5	बिलासपुर हरियाली द्वितीय	26.398	0	0	0	4.301	30.699	30.699	286
6	बिलासपुर हरियाली तृतीय	58.107	0	0	0	-1.734	56.373	56.373	724
7	बिलासपुर हरियाली चतुर्थ	13.591	0	0	0	10.395	23.986	23.986	135
	<b>योग</b>	<b>140.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.079</b>	<b>162.217</b>	<b>162.217</b>	<b>1664</b>
8	सोलन प्रथम चरण	2.855	0	0	0	0	2.855	0	0
9	सोलन द्वितीय चरण	3.792	0	0	0	0	3.792	0	0
10	सोलन पाचवाँ चरण	2.102	0	0	0	0	2.102	0	0
11	सोलन छठा चरण	74.828	0	0	0	0	74.828	7.499	101
12	सोलन सातवाँ चरण	12.124	0	0	0	0	12.124	2.100	36
13	सोलन आठवाँ चरण	37.082	0	0	0	0	37.082	0.782	12
14	सोलन हरियाली प्रथम	48.531	0	0	0	0	48.531	0.40	6
15	सोलन हरियाली द्वितीय	42.850	0	0	0	0	42.850	19.064	281
16	सोलन हरियाली तृतीय	17.261	0	0	0	0	17.261	14.60	218
17	सोलन हरियाली चतुर्थ	9.052	52.539	17.52	70.059	0	79.111	13.531	221
	<b>योग</b>	<b>250.477</b>	<b>52.539</b>	<b>17.52</b>	<b>70.059</b>	<b>0</b>	<b>320.536</b>	<b>57.976</b>	<b>875</b>
18	उना छठा चरण	94.150	0	0	0	0	94.150	65.79	582
19	उना सातवाँ चरण	29.768	0	0	0	0	29.768	28.170	412
20	उना आठवाँ चरण	13.889	0	0	0	0	13.889	13.70	993
21	उना हरियाली प्रथम	53.201	0	0	0	0	53.201	21.630	260
22	उना हरियाली द्वितीय	83.0613	0	0	0	0	83.0613	26.480	464
23	उना हरियाली तृतीय	96.157	0	0	0	0	96.157	24.950	308
24	उना हरियाली चतुर्थ	103.0394	0	0	0	0	103.0394	46.780	455
	<b>योग</b>	<b>473.2657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.2657</b>	<b>227.50</b>	<b>3474</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>863.8807</b>	<b>52.539</b>	<b>17.520</b>	<b>70.059</b>	<b>22.079</b>	<b>956.0187</b>	<b>447.693</b>	<b>6013</b>

## Detail of funds released, expdt. incurred and area treated during the year 2013-14




### 3. मरुस्थल विकास कार्यक्रम:

मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रदेश के जिला लाहौल स्पिति तथा जिला किन्नौर के विकास खण्ड पूह में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत 552 सूक्ष्म जलागम परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2013-14 में निर्मुक्त धनराशि, व्यय तथा उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2013	वर्ष 2013-14 निर्मुक्त की गई धनराशि			विविध प्राप्ति	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय	भौतिक उपलब्धियां
			केन्द्रीय भाग	राज्य भाग	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	किन्नौर छटा चरण	45.41	0	0	0	1.70	47.11	21.83	358
2.	किन्नौर सातवां चरण	144.67	0	21.25	21.25	4.85	170.77	91.89	1523
3.	किन्नौर आठवां चरण	62.74	0	12.50	12.50	2.00	77.24	76.40	1236
4.	किन्नौर हरियाली-1	111.86	0	0	0	3.94	115.80	37.24	572
5.	किन्नौर हरियाली-2	29.95	91.87	0	91.87	1.84	123.660	36.91	595
6.	किन्नौर हरियाली-3	130.67	0	0	0	4.66	135.33	75.11	1251
7.	किन्नौर हरियाली-4	9.02	0	0	0	0	9.02	8.64	132
	<b>योग</b>	<b>534.32</b>	<b>91.87</b>	<b>33.75</b>	<b>125.62</b>	<b>18.99</b>	<b>678.930</b>	<b>348.02</b>	<b>5667</b>
8.	लाहौल स्पिति प्रथम चरण	71.56	0	0	0	2.89	74.45	0	0
9.	लाहौल स्पिति पांचवा चरण	54.59	0	0	0	2.19	56.78	13.02	207
10.	लाहौल स्पिति छटा चरण	74.20	0	0	0	3.26	77.46	17.28	258
11.	लाहौल स्पिति सातवां चरण	19.46	0	0	0	0.72	20.18	2.06	33
12.	लाहौल स्पिति आठवां चरण	28.35	280.76	96.75	377.51	7.23	413.09	236.28	2383
13.	लाहौल स्पिति	64.77	0	0	0	2.51	67.28	0.53	6

	हरियाली-1								
14.	लाहौल स्पिति हरियाली-2	69.44	138.99	51.75	190.74	5.72	265.90	17.78	205
15.	लाहौल स्पिति हरियाली-3	54.53	169.85	60.75	230.60	6.03	291.16	22.39	202
16.	लाहौल स्पिति हरियाली-4	30.06	0	0	0	0.60	30.66	14.65	80
	योग	466.96	589.60	209.25	798.85	31.15	1296.96	323.99	3374
	कुल योग	1001.28	681.47	243.00	924.47	50.14	1975.89	672.010	9041

### Detail of funds released & expdt. Incurred under DDP during the year 2013-14



#### 4. एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम:

भारत सरकार द्वारा 1.04.2008 से नये दिशा निर्देश वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त के नाम से जारी किए गए हैं जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा मु0 1141.074 करोड़ रू0 की धनराशि 760716 है0 वर्षा पर आधारित क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 2012-13 तथा 2013-14 में 146 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। यह परियोजनाएं 90:10 कमशः भारत सरकार व राज्य सरकार की भागीदारी से वहन की जायेगी।

चरण-वार वर्ष 2013-14 में प्राप्त धनराशि, व्यय की गई धनराशि तथा उपचारित क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

izFke pj.k


क्रम सं0	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2013	प्राप्त धनराशि			विविध प्राप्त	कुल प्राप्त धन राशि	व्यय (रूपये लाखों में)	भौतिक उपलब्धियां
				केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बिलासपुर	आई0डब्ल्यू0एम0पी0.I	80.380	37.380	4.153	41.533	2.469	124.382	81.796	545
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0-II	37.069	19.980	2.220	22.20	1.352	60.621	34.409	155
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.III	9.441	12.531	1.392	13.923	0.418	23.782	15.011	145

		कुल	126.89	69.891	7.765	77.656	4.239	208.785	131.216	845
2	चम्बा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०।	84.591	64.629	7.181	71.81	2.130	158.531	95.466	917
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०-II	77.595	59.186	6.576	65.762	1.818	145.175	92.234	732
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	54.635	49.003	5.445	54.448	0.946	110.029	72.208	667
		कुल	216.821	172.818	19.202	192.02	4.894	413.735	259.908	2316
3	हमीरपुर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०।	28.244	24.00	2.667	26.667	1.140	56.051	17.80	150
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	52.325	42.857	4.762	47.619	1.890	101.834	51.540	303
		कुल	80.569	66.857	7.429	74.286	3.030	157.885	69.340	453
4	कागांडा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०-I	99.230	44.194	4.910	49.104	3.806	152.140	75.238	445
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	113.015	50.014	5.557	55.571	3.687	172.273	91.591	551
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०-III	72.564	39.309	4.368	43.677	0.598	116.839	36.750	527
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.४V	110.343	47.169	5.241	52.41	4.751	167.504	83.717	577
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V	126.654	49.517	5.502	55.019	4.494	186.167	89.910	610
		कुल	521.806	230.203	25.578	255.781	17.336	794.923	377.206	2710
5	किन्नौर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०।	46.487	30.00	3.333	33.333	2.044	81.864	25.950	49
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	13.501	25.714	2.857	28.571	0.586	42.658	10.440	21
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०	12.144	30.00	3.333	33.333	0.997	46.474	21.925	201
		कुल	72.132	85.714	9.523	95.237	3.627	170.996	58.315	271
6	कुल्लू	आई०डब्ल्यू०एम०पी०।	35.064	51.283	5.698	56.981	0.770	92.815	32.064	133
		कुल	35.064	51.283	5.698	56.981	0.770	92.815	32.064	133
7	लाहौल स्पिति	आई०डब्ल्यू०एम०पी० .I	76.913	42.857	4.762	47.619	2.280	126.812	18.290	51
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	73.932	42.857	4.762	47.619	3.460	125.011	8.390	13
		कुल	150.845	85.714	9.524	95.238	5.740	251.823	26.68	64
8	मण्डी	आई०डब्ल्यू०एम०पी०-I	32.534	68.966	7.663	76.629	0	109.163	59.445	71
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	130.362	80.734	8.970	89.704	0	220.066	171.763	339
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	71.708	72.737	8.082	80.819	0	152.527	62.276	69
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	30.611	57.30	6.367	63.667	0	94.278	52.378	108
		कुल	265.215	279.737	31.082	310.819	0	576.034	345.862	587
9	शिमला	आई०डब्ल्यू०एम०पी०-I	64.144	43.054	4.784	47.838	3.790	115.772	65.220	46
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	71.529	47.314	5.257	52.571	3.190	127.290	45.130	23
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	79.369	44.477	4.942	49.419	2.880	131.668	58.650	24
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	54.771	43.200	4.80	48.00	2.790	105.561	63.130	2
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V	59.255	49.209	5.468	54.677	3.180	117.112	50.040	31
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI	19.070	38.940	4.327	43.267	2.510	64.847	72.40	18
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	16.619	32.863	3.651	36.514	2.120	55.253	39.630	3
		कुल	364.757	299.057	33.229	332.286	20.460	717.503	394.20	147
10	सिरमौर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०।	74.376	64.397	7.155	71.552	1.947	147.875	70.111	325
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	74.874	51.737	5.749	57.486	2.629	134.989	32.660	132
		कुल	149.25	116.134	12.904	129.038	4.576	282.864	102.771	457



11	सोलन	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.I	81.942	68.571	7.619	76.19	0	158.132	53.981	198
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	106.881	59.546	6.616	66.162	0	173.043	96.465	446
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	121.641	95.666	10.630	106.296	0	227.937	98.653	386
		कुल	310.464	223.783	24.865	248.648	0	559.112	249.099	1030
12	उना	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.I	69.888	65.940	7.327	73.267	1.550	144.705	67.830	213
		योग	69.888	65.940	7.327	73.267	1.550	144.705	67.830	213
		कुल योग	2363.701	1747.131	194.126	1941.257	66.222	4371.180	2114.491	9226

**Batch-wise funds released, expenditure incurred & area treated under IWMP (1st Batch) 2013-14**




**f}rh; pj.k**

क्रम सं०	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2013	प्राप्त धनराशि			विविध प्राप्त	कुल प्राप्त धन राशि	व्यय (रूपये लाखों में)	भौतिक उपलब्धियां
				केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बिलासपुर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	119.714	0	0	0	1.590	121.304	66.253	399
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V	54.574	0	0	0	0.512	55.086	37.690	138
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI	28.623	0	0	0	0.597	29.220	16.686	48
		कुल	202.911	0	0	0	2.699	205.610	120.629	585
2	चम्बा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०-IV	184.416	0	0	0	4.770	189.186	166.009	894
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V	213.003	0	0	0	6.593	219.596	154.410	1163
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI	152.561	0	0	0	3.965	156.526	83.863	339
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	187.672	0	0	0	4.810	192.482	121.346	434
		कुल	737.652	0	0	0	20.138	757.790	525.628	2830
3	हमीरपुर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	125.028	0	0	0	4.210	129.238	54.620	404

		कुल	125.028	0	0	0	4.210	129.238	54.620	404
4.	कागंडा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०-VI	139.594	0	0	0	6.489	146.083	79.601	100
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	132.547	0	0	0	5.656	138.203	85.437	30
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII	119.653	0	0	0	6.134	125.787	62.717	40
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०-IX	101.245	0	0	0	4.582	105.827	56.285	60
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X	117.893	0	0	0	2.286	120.179	73.382	89
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XI	111.623	0	0	0	4.175	115.798	68.796	85
		कुल	722.555	0	0	0	29.322	751.877	426.218	404
5.	किन्नौर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	87.640	0	0	0	3.736	91.376	25.79	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.V	50.070	0	0	0	0.049	50.119	1.40	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI	57.920	0	0	0	2.157	60.077	23.920	14
		कुल	195.630	0	0	0	5.942	201.572	51.110	14
6.	कुल्लू	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.II	93.751	0	0	0	0	93.751	71.950	281
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	184.350	0	0	0	10.714	195.064	136.135	805
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	108.994	0	0	0	0	108.994	75.750	414
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.ट	199.711	0	0	0	13.424	213.135	134.750	442
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI	105.820	0	0	0	2.760	108.580	65.670	96
		कुल	692.626	0	0	0	26.898	719.524	484.255	2038
7	लाहौल स्मिति	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	121.604	0	0	0	3.56	125.164	20.460	101
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	149.829	0	0	0	4.36	154.189	38.070	215
		कुल	271.433	0	0	0	7.92	279.353	58.530	316
8	मण्डी	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	99.727	0	0	0	0	99.727	93.266	412
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.ट	94.232	0	0	0	0	94.232	73.238	524
		कुल	193.959	0	0	0	0	193.959	166.504	936
9	शिमला	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII	118.608	0	0	0	0	118.608	70.870	13
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IX	72.758	0	0	0	2.730	75.488	41.160	23
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X	128.449	0	0	0	4.580	133.029	96.90	86
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XI	116.713	0	0	0	4.330	121.043	68.920	30
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XII	144.910	0	0	0	5.210	150.120	66.60	20
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIII	90.414	0	0	0	3.180	93.594	76.160	27
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIV	325.014	0	0	0	11.880	336.894	173.780	37
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XV	114.467	0	0	0	4.340	118.807	48.050	55
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XVI	92.122	0	0	0	3.380	95.502	60.890	36
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XVII	53.546	0	0	0	2.310	55.856	14.540	7
		कुल	1257.001	0	0	0	41.940	1298.941	717.87	334
10	सिरमौर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.III	117.475	0	0	0	2.213	119.688	67.293	338
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	124.471	0	0	0	0.990	125.461	77.158	393
		कुल	241.946	0	0	0	3.203	245.149	144.451	731
11	सोलन	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	107.905	0	0	0	0	107.905	57.853	435
		कुल	107.905	0	0	0	0	107.905	57.853	435

12	ऊना	आई०डब्ल्यू०एम०पी०II	104.117	0	0	0	0.268	104.385	11.090	14
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०III	273.452	0	0	0	8.156	281.608	103.620	615
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०IV	53.492	0	0	0	0.079	53.571	16.570	104
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०V	220.731	0	0	0	0.921	221.652	42.690	232
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०VI	61.395	0	0	0	0.253	61.648	18.720	40
		कुल	713.187	0	0	0	9.677	722.864	192.690	1005
		कुल योग	5461.833	0	0	0	151.949	5613.782	3000.358	10032

### Batch-wise funds released, expenditure incurred and area treated (2nd Batch) 2013-14




### r`rh; pj.k

क्रम सं०	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2013	प्राप्त धनराशि			विविध राशि प्राप्त	कुल प्राप्त धन राशि	ट यय (रूपये लाखों में)	भौतिक उपलब्धियां
				केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चम्बा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII	56.125	52.501	6.062	58.563	1.875	116.563	62.453	117
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IX	38.806	36.839	4.254	41.093	1.416	81.315	50.256	87
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X	50.347	46.135	5.327	51.462	1.593	103.402	50.395	261
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XI	38.142	35.324	4.079	39.403	1.293	78.838	44.239	187
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIV	48.689	43.059	4.972	48.031	1.543	98.263	44.507	223
		कुल	232.109	213.858	24.694	238.552	7.720	478.381	251.850	875
2	हमीरपुर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IV	41.660	44.919	5.187	50.106	1.50	93.266	38.740	402
		कुल	41.660	44.919	5.187	50.106	1.50	93.266	38.740	402
3	कांगडा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XII	43.957	41.116	4.748	45.864	1.677	91.498	32.064	102
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIII	45.416	42.264	4.880	47.144	1.750	94.310	17.492	58
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIV	49.374	43.817	5.059	48.876	1.828	100.078	38.512	220
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XV	41.679	38.683	4.467	43.150	0.959	85.788	17.573	21
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XVII	65.648	58.912	6.802	65.714	2.683	134.045	12.847	20

		कुल	246.074	224.792	25.956	250.748	8.897	505.719	118.488	421
4	किन्नौर	आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VII	22.415	15.302	1.767	17.069	0.546	40.03	0	0
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VIII	23.315	22.953	2.650	25.603	0.837	49.755	2.930	0
		कुल	45.730	38.255	4.417	42.672	1.383	89.785	2.930	0
5	कुल्लू	आई0डब्ल्यू0एम0पी0-IX	44.426	65.775	7.595	73.370	1.560	119.356	53.116	154
		कुल	44.426	65.775	7.595	73.370	1.560	119.356	53.116	154
6	लाहौल स्पिति	आई0डब्ल्यू0एम0पी0.V	45.10	38.254	4.417	42.672	1.270	89.042	25.90	173
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VIII	45.10	38.255	4.417	42.672	0.990	88.762	24.370	24
		कुल	90.20	76.509	8.834	85.344	2.260	177.804	50.270	197
7	मण्डी	आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VII	36.321	32.975	3.808	36.783	0	73.104	29.896	70
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VIII	44.768	40.573	4.685	45.258	0	90.026	44.50	29
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0-IX	45.872	41.675	4.812	46.487	0	92.359	47.664	220
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.X	52.829	48.491	5.599	54.091	0	106.92	54.685	61
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XI	45.920	42.723	4.933	47.656	0	93.576	40.657	40
		कुल	225.710	206.437	23.837	230.275	0	455.985	217.402	420
8	शिमला	आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XVIII	32.542	29.272	3.380	32.652	0.660	65.854	17.910	0
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XIX	26.178	22.723	2.624	25.347	0.540	52.065	13.620	0
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXIII	28.560	25.814	2.981	28.795	0.710	58.065	17.760	0
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXIV	18.440	17.444	2.014	19.458	0.950	38.848	17.050	0
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXV	23.167	20.314	2.346	22.659	0.560	46.386	10.360	0
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.XXVI	22.581	20.153	2.327	22.480	0.550	45.611	10.010	0
		कुल	151.468	135.720	15.672	151.391	3.970	306.829	86.710	0
9	सिरमौर	आई0डब्ल्यू0एम0पी0.V	44.991	46.334	5.350	51.684	1.059	97.734	30.954	157
		कुल	44.991	46.334	5.350	51.684	1.059	97.734	30.954	157
10	सोलन	आई0डब्ल्यू0एम0पी0.V	66.855	62.783	7.249	70.032	0	136.887	81.699	574
		आई0डब्ल्यू0एम0पी0.VI	24.323	21.346	2.465	23.811	0.312	48.446	17.691	112
		कुल	91.178	84.129	9.714	93.843	0.312	185.333	99.390	686
		कुल योग	1213.546	1136.728	131.256	1267.984	28.661	2510.191	949.850	3312

### Batch-wise funds released ,expenditure incurred & area treated (3rd Batch) 2013-14



## PkkSFkk pj.k

क्र० सं०	जिला का नाम	परियोजना का नाम	शेष राशि 1.4.2013	प्राप्त धनराशि			विविध राशि प्राप्त	कुल प्राप्त धन राशि	व्यय (रूपये लाखों में)	भौतिक उपलब्धियां
				केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिलासपुर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	0	65.237	7.249	72.486	0.333	72.819	2.498	5
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII	0	48.428	5.380	53.808	0.000	53.809	11.520	20
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>113.665</b>	<b>12.629</b>	<b>126.294</b>	<b>0.333</b>	<b>126.628</b>	<b>14.018</b>	<b>25</b>
2	चम्बा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XII	0	104.365	11.596	115.961	0.203	116.164	32.420	152
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XIII	0	122.406	13.601	136.007	0.209	136.216	43.107	105
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>226.771</b>	<b>25.197</b>	<b>251.968</b>	<b>0.412</b>	<b>252.380</b>	<b>75.527</b>	<b>257</b>
3	कांगडा	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XVI	0	112.059	12.451	124.51	0	124.510	5.532	0
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>112.059</b>	<b>12.451</b>	<b>124.51</b>	<b>0</b>	<b>124.510</b>	<b>5.532</b>	<b>0</b>
4.	कुल्लू	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	0	97.305	10.812	108.117	0	108.117	6.390	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII	0	196.645	21.849	218.494	0	218.494	22.969	133
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>293.950</b>	<b>32.661</b>	<b>326.611</b>	<b>0</b>	<b>326.611</b>	<b>29.359</b>	<b>133</b>
5	लाहौल स्पिति	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI	0	46.00	5.111	51.111	0.530	51.641	0	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	0	46.00	5.111	51.111	0.530	51.641	0	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.IX	0	46.00	5.111	51.111	0.530	51.641	0	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.X	0	46.00	5.111	51.111	0.530	51.641	0	0
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>184.00</b>	<b>20.444</b>	<b>204.444</b>	<b>2.120</b>	<b>206.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	शिमला	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XX	0	45.832	5.092	50.924	0	50.924	2.60	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XXI	0	61.110	6.790	67.90	0	67.90	10.140	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XXII	0	20.787	2.310	23.097	0	23.097	1.210	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.XXVII	0	74.594	8.288	82.882	0	82.882	5.860	0
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>202.323</b>	<b>22.480</b>	<b>224.803</b>	<b>0</b>	<b>224.803</b>	<b>19.810</b>	<b>0</b>
7	सिरमौर	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VI	0	110.565	12.285	122.85	1.328	124.178	11.923	38
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	0	101.918	11.324	113.242	1.209	114.451	10.017	0
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>212.483</b>	<b>23.609</b>	<b>236.092</b>	<b>2.537</b>	<b>238.629</b>	<b>21.940</b>	<b>38</b>
8	सोलन	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	0	76.929	8.548	85.477	0	85.477	24.30	169
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII	0	133.444	14.827	148.271	0	148.271	18.254	285
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>210.373</b>	<b>23.375</b>	<b>233.748</b>	<b>0</b>	<b>233.748</b>	<b>42.554</b>	<b>454</b>
9	ऊना	आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VII	0	79.282	8.809	88.091	0.405	88.496	0	0
		आई०डब्ल्यू०एम०पी०.VIII	0	44.263	4.919	49.182	0.226	49.908	0	0
		<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>123.545</b>	<b>13.728</b>	<b>137.273</b>	<b>0.631</b>	<b>137.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>0</b>	<b>1679.169</b>	<b>186.574</b>	<b>1865.743</b>	<b>6.033</b>	<b>1871.776</b>	<b>208.740</b>	<b>907</b>










वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत घटक वार व्यय का जिलावार विवरण घटक-वार खर्चा (4/2013 से 3/2014)

रु0 लाख में

क्र०सं०	जिला	पारिवारिक शौचालय	शौचालय परिसर	स्कूल शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	स्टार्ट अप	प्रशासनिक	आई0ई0सी0	ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन
		Exp	Exp	Exp	Exp	Exp	Exp	Exp	Exp
1	बिलासपुर	195.1	25.5	44.8	0	0	3.23	27.47	16.82
2	चम्बा	220.1	0	0	0	0	0	46.01	0
3	हमीरपुर	63.73	33.97	45.82	0.87	0	0.6	6.21	31.72
4	कांगड़ा	737.2	1.8	0	0	0	2.53	5.14	0
5	किन्नौर	0	9.2	3.2	0.41	0	0	0	0
6	कुल्लु	0	49.84	121.25	0	0	0.38	2.9	0
7	लाहौल स्पिति	0	33.46	0	0	0	0	0	0
8	मण्डी	18.27	12.06	148.29	0.8	0	3.13	43.4	0.01
9	षिमला	39.1	3.05	134.89	0	0	0	25	112.5
10	सिरमौर	42.62	137.9	119.41	8.28	0	4.25	49.86	0
11	सोलन	174.14	31.26	124.3	1.8	0	1.24	5.67	22.69
12	उना	198.63	0	0	0.2	0	0	0	27.82
	<b>जोड़</b>	<b>1688.9</b>	<b>338.05</b>	<b>741.96</b>	<b>12.36</b>	<b>0</b>	<b>15.36</b>	<b>211.66</b>	<b>211.56</b>



## महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

इस योजना को पूर्णरूप से स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा चुका है जिसमें महिला मण्डलों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है जिन्होंने अपने गांव, वार्ड, ग्राम पंचायत में स्वच्छता व

बाह्य शौचमुक्त करने में योगदान दिया हो । योजना के अन्तर्गत विजेता महिला मण्डलों के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में 131.04 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई ।

## निर्मल ग्राम पुरस्कार

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्टूबर, 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ किए तथा प्रथम पुरस्कार वर्ष 2005 में वितरित किए गए । पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (अब निर्मल भारत अभियान) सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण, क्षमता विकास, व स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित सामाजिक समूहों, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देता है । निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सुरक्षित स्वच्छता व निर्मल वातावरण को बढ़ावा देना ।
2. पंचायती राज संस्थाओं को गावों को खुले में शौच मुक्त रखने व ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन को अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना ।
3. निर्मल वातावरण को बनाए रखने हेतु बढ़ावा देना ।
4. निर्मल भारत अभियान के क्रियान्वयन में सामाजिक लामबंदी हेतु उत्प्रेरक भूमिका निभाने में विभिन्न संस्थाओं को बढ़ावा देना ।

हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता पंचायतों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या	वितरित पुरस्कार राशि
<b>2007</b>	22 ग्राम पंचायत	Rs. 26.00 लाख
<b>2008</b>	245 ग्राम पंचायत व एक खण्ड	Rs. 363.00 लाख
<b>2009</b>	253 ग्राम पंचायत	Rs. 364.50 लाख
<b>2010</b>	168 ग्राम पंचायत	Rs. 261.50 लाख
<b>2011</b>	323 ग्राम पंचायत	Rs. 430.50 लाख
<b>2012</b>	भारत सरकार द्वारा इस वर्ष निर्मल ग्राम पुरस्कार की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई	
<b>2013</b>	इस वर्ष 693 ग्राम पंचायतों ने अपने दावे प्रस्तुत किए जिनमें से अन्तःजिला वेरिफिकेशन उपरान्त 369 ग्राम पंचायतों को आगामी सेम्पल सर्वे जो भारत सरकार द्वारा किया जाना है के लिए प्रस्तावित किया गया , निर्णय आपेक्षित है	

## राज्य स्वच्छता पुरस्कार

### 1. महार्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार:

प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने व बाह्य शौच मुक्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छता प्रतिस्पर्धा पर प्रतियोगिता आधारित राज्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 'महार्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार' को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत बाह्य शौच मुक्त विजेता पंचायतों को हर वर्ष राज्य स्तरीय सामारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए 147.00 लाख रुपये की पुरस्कार राशि विजेता ग्राम पंचायतों हेतु प्रदान की गई। योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

- खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 1.00 लाख
- जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 3.00 लाख (300 ग्राम पंचायतों से अधिक के जिला में दो ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जा सकता है)
- मण्डल स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 5.00 लाख
- राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत- 10.00 लाख

### 2. स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत एक प्रोत्साहन योजना 2008-09 से प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रावधान था। वर्ष 2011-12 में इस योजना को संशोधित करके हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूलों को भी योजना के दायरे में लाया गया है। इस प्रोत्साहन योजना की पुरस्कार राशि हर वर्ष हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को बांटी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 50000/- रुपये के साथ-साथ प्रमाण पत्र व समृति चिन्ह दिया जाता है। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार 20000/- रुपये के साथ-साथ प्रमाण पत्र व समृति चिन्ह है। खण्ड स्तर पर द्वितीय पुरस्कार का भी प्रावधान है जिसके रूप में 10000/- रुपये के साथ-साथ प्रमाण पत्र व समृति चिन्ह दिया जाता है। वर्ष 2013-14 में इस योजना के अन्तर्गत मु0-88.20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।

## V- सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:-

### सरकार/सचिवालय स्तर पर

क्र० सं०	वर्तमान पद नाम	दूरभाष नम्बर	पदनाम
1.	संयुक्त निदेशक (ग्रामीण विकास)	2623822(कार्य०)	अपील प्राधिकारी
2.	अनुभाग अधिकारी (सी०डी०-1)	2625484, (कार्य०)	राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	अधीक्षक (सी०डी०-1)	2625484, (कार्य०)	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी

## विभागीय स्तर पर

क्र० सं०	वर्तमान पद नाम	दूरभाष नम्बर	पदनाम
1.	अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण विकास)/ संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास)	2623830(कार्य०)	अपील प्राधिकारी
2.	उप-निदेशक, (ग्रामीण विकास),	2623789,(कार्य०)	राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	उप-निदेशक, (सांख्यिकीय),	2623802,(कार्य०)	
4.	अधिषाषी अभियन्ता (राज्यमुख्यालय)	2623745,(कार्य०)	
5.	सहायक निदेशक (एनबीए)	2622302,(कार्य०)	
6.	सहायक निदेशक (मनरेगा)	2623802,(कार्य०)	
7.	सहायक निदेशक (विशेष परियोजनाएं)	2626321,(कार्य०)	
8.	अधीक्षक-ग्रेड- II (सी०डी०- II)	2623819 विस्तार सेवा 214	
9.	अधीक्षक-ग्रेड- II (सी०डी०- III)	2623819 विस्तार सेवा 239	
10.	अधीक्षक-ग्रेड- II (बजट)	2623819 विस्तार सेवा 231	
11.	अधीक्षक-ग्रेड- II (अधिषाषी अभियन्ता)	2623745 विस्तार सेवा 226	

## जिला स्तर पर

क्र० सं०	वर्तमान पद नाम	पदनाम (अपने क्षेत्राधिकार में)
1.	समस्त ए०डी०सी/ए०डी०एम० एवं पी०डी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि०प्र०)	अपील प्राधिकारी
2.	समस्त परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि०प्र०)	जन सूचना अधिकारी
3.	समस्त अधीक्षक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (हि०प्र०)	सहायक जन सूचना अधिकारी (अपने कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत)

## खण्ड स्तर पर

क्र० सं०	वर्तमान पद नाम	पदनाम (अपने क्षेत्राधिकार में)
1.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी (हि०प्र०)	अपील प्राधिकारी
2.	समस्त अधीक्षक कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी (हि०प्र०)	जन सूचना अधिकारी (अपने विकास खण्ड क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत)
3.	समस्त पंचायत सचिव समस्त पंचायत सहायक	सहायक जन सूचना अधिकारी (अपने कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत)

ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना [www.hprural.nic.in](http://www.hprural.nic.in) पर उपलब्ध है।

